

उपखण्ड अधिकारी) वेगूं जिला चितौडगढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगूं जिला चितौडगढ़ (राज.)  
दिनांक 28.8.25

अनवान  
गोपाल लाल पिला जीतमल धाकड़ वर्मा  
निवासी सौनगर लखे  
नाम प्रार्थी/प्रार्थीगण  
मंजी लाल पिला मेधा धाकड़ वर्मा  
निवासी सौनगर लखे विपक्षी/विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत याचत पत्थरगढी करने:

न्यायालय में अधिवक्ता श्री S.L. रावत के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉच आराजीवात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मोजा सौनगर पटवार हल्का जयनगर कुल कीता-51 कुल रकवा 1.3220 हे.

कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।  
पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मोजा सौनगर पटवार हल्का जयनगर की आराजी संख्या 679 कुल कीता-51 कुल रकवा 1.3220 हे.

कूल रकवा 1.3220 हे. भूमि की पत्थरगढी हेतू सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 2000/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र कीता (2)

उपखण्ड अधिकारी, वेगूं जिला चितौडगढ़(राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 282  
प्रार्थना पत्र संख्या 62/25 व अनवान गोपाल लाल पिला मेधा धाकड़ वर्मा प्रार्थना पत्र अध्या 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

दिनांक :- 14/5/25

उपखण्ड अधिकारी, वेगूं जिला चितौडगढ़(राज.)